दिल्ली नगर निगम उपचुनाव- 2025

राजनीतिक पार्टियों एंव प्रत्याशियों

के लिए

मार्गदर्शक आदर्श आचार–संहिता

राज्य निर्वाचन आयोग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

निगम भवन

कश्मीरी गेट, दिल्ली –110006

राज्य निर्वाचन आयोग, दिल्ली
राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिये
<u>आदर्श आचार संहिता</u>

I. साधारण आचार

(1) किसी दल या प्रत्याशी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ाये या घृणा की भावना उत्पन करे या तनाव पैदा करे।

(2) जब अन्य राजनैतिक दलों की आलोचना की जाये, तो वह उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पूर्व रिकार्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि व्यक्तिगत जीवन के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जिनका सम्बंध अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के सार्वजनिक क्रियाकलाप से न हो। दलों या उनके कार्यकर्ताओं के बारे में कोई ऐसी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, जो ऐसे आरोपों पर जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो या तोड़–मरोड़कर कही गई बातों पर आधारित हो।

(3) मत प्राप्त करने के लिए जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं दी जानी चाहिये। मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(4) सभी दलों और प्रत्याशियों को ऐसे सभी कार्यों से ईमानदारी के साथ बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन 'भ्रष्ट आचरण' और अपराध हैं जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना/धमकाना मतदाताओं का प्रतिरुपण, मतदान केन्द्र के 100 गज के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक सार्वजनिक सभाएं, करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना।

(5) सभी राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार का आदर करें चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरुद्ध क्यों न हों। व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिए।

(6) किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशियों को ध्वजदण्ड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएं चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नहीं देनी चाहिए।

(7) राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं–जुलूसों आदि में बाधायें उत्पन्न न करें या उन्हें भंग न करें। एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के पर्चे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करनी चाहिये। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिये, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा लगाए गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्त्ताओं द्वारा हटाये नहीं जाने चाहिए।

II. सभाएं

(1) दल या प्रत्याशी को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान विशेष और समय के विषय में स्थानीय प्राधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये तथा लाउडस्पीकर के प्रयोग की अनुमति प्राप्त करनी होगी ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सकें।

(2) दल या प्रत्याशी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर जहाँ सभा करने का प्रस्ताव है, कोई निर्बन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिये समय से आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(3) यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो तो दल या प्रत्याशी को सम्बद्ध प्राधिकारी के पास काफी पहले ही से आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

(4) किसी सभा के आयोजकों के लिये यह अनिवार्य है कि वे सभा में विघ्न डालने वाले या अन्यथा अव्यवस्था फैलाने का प्रयत्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये ड्युटी पर तैनात पुलिस की सहायता प्राप्त करें। आयोजकों को चाहियें कि वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई न करें।

III. जुलूस

(1) जुलूस का आयोजन करने वाले दल या प्रत्याशी को पहले ही यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस समय और किस स्थान से शुरू होगा, किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और किस स्थान पर समाप्त होगा और इस विषय में थाना प्रभारी पुलिस को पूर्व सूचना देनी होगी। सामान्यतः कार्यक्रम में कोई फेरबदल नहीं होनी चाहिये।

(2) आयोजकों को चाहिये कि वे कार्यक्रम के बारे में स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को पहले से सूचना दे दें, ताकि वे आवश्यक प्रबंध कर सकें।

(3) आयोजकों को यह पता कर लेना चाहिये कि जिन इलाकों से होकर जुलूस गुजरता है, उनमें कोई निर्बन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है और जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से छूट न दे दी जाये, उन निर्बन्धनों की पालन करना चाहिये।

(4) आयोजकों को जुलूस का आयोजन ऐसे ढंग से करना चाहिये, जिससे कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न किये बिना जुलूस का निकलना संभव हो सके। यदि जुलूस बहुत लम्बा हो तो उसे उपयुक्त लम्बाई वाले टुकड़ों में संगठित किया जातना चाहिये, ताकि सुविधाजनक अन्तरालों पर विशेषकर उन स्थानों पर जहाँ जुलूस को चौराहों से होकर गुजरना है, रूके हुए यातायात के लिये समय–समय पर रास्ता दिया जा सके और इस प्रकार भारी यातायात के जमाव से बचा जा सके।

(5) जुलूसों की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जहाँ तक हो सके उन्हें सड़क की दाँयी ओर रखा जाये और ड्यूटी पर तैनात पुलिस के निर्देश और सलाह का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिये।

(6) यदि दो या अधिक राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों ने लगभग उसी समय पर उसी रास्ते से या उसके भाग से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो, आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजना बनाएं, जिससे कि जुलूसों में टकराव न हो या यातायात को बाधा ना पहुंचे। स्थानीय पुलिस की सहायता संतोषजनक इंतजाम करने के लिये सदा उपलब्ध होगी। इस प्रयोजन के लिये दलों को यथाशीघ्र पुलिस से सम्पर्क स्थापित करना चाहिये।

(7) जुलूस में शामिल लोगों द्वारा ऐसी चीजें लेकर चलने के विषय में जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा, विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है, राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को उन पर अधिक–से–अधिक नियंत्रण रखना चाहिये।

(8) किसी भी राजनैतिक दल या प्रत्याशी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान में जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।

IV. मतदान दिवस

सभी राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों को चाहिये कि वेः–

(1) यह सुनिश्चित करने के लिये कि मतदान शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से हों और मतदाताओं को इस बात की पूरी स्वतंत्रता हो कि वे बिना किसी परेशानी या बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे हुए अधिकारियों के साथ सहयोग करें।

(2) अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान पत्र दें।

(3) इस बात से सहमत हों कि मतदाताओं को उनके द्वारा दी गई पहचान पर्चियां सादे (सफेद) कागज पर होंगी और उन पर कोई प्रतीक, प्रत्याशी का नाम या दल का नाम नहीं होगा।

(4) मतदान के दिन और मतगणना के दिन और मतदान के लिए निर्धारित समय से पूर्व के 48 घंटों के दौरान शराब परोसने या वितरित करने पर प्रतिबन्ध होगा।

(5) राजनैतिक दलों और प्रत्याशियों द्वारा मतदान केन्द्रों के निकट लगाये गये कैम्पों के नजदीक अनावश्यक भीड़ इकट्ठी न होने दें, जिससे दलों और अभ्यर्थियों के कार्यकर्ताओं और शुभचिन्तकों में आपस में मुकाबला और तनाव न होने पाये।

(6) यह सुनिश्चित करें कि प्रत्याशियों के कैम्प साधारण हों। उन पर कोई पोस्टर, झण्डे, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित न की जाये। कैम्पों में खाद्य पदार्थ पेश न किये जाये और भीड़ न लगाई जाये।

(7) मतदान के दिन वाहन चलाने पर लगाये जाने वाले निर्बन्धनों का पालन करने में प्राधिकारियों के साथ सहयोग करें और वाहनों के लिये परमिट प्राप्त कर लें और उन्हें उन वाहनों पर ऐसे लगा दें जिससे ये साफ–साफ दिखाई देते रहें।

V. मतदान केन्द्र

(1) मतदाताओं के सिवाय कोई भी व्यक्ति निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये विधिमान्य पास के बिना मतदान केन्द्रों में प्रवेश नहीं करेगा।

VI. साधारण प्रेक्षक

(1) निर्वाचन आयोग प्रेक्षक नियुक्त कर रहा है। यदि निर्वाचनों के संचालन के संबंध में प्रत्याशियों या उनके अभिकर्ताओं को कोई विशिष्ट शिकायत या समस्या हो तो वे उसकी सूचना प्रेक्षक को दे सकते हैं।

VII. सत्ताधारी दल

(1) सत्ताधारी दल को, चाहे वे केन्द्र में हो या संबंधित राज्यों में हो, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह शिकायत करने का कोई मौका न दिया जाये कि उस दल ने अपने निर्वाचन अभियान के प्रयोजनों के लिये अपने सरकारी पद का प्रयोग किया है और विशेष रूप से :–

(1) (क) मंत्रियों को अपने शासकीय दौरों को, निर्वाचन से संबंधित प्रचार के साथ नहीं जोड़ना चाहिये और निर्वाचन के दौरान प्रचार करते हुए शासकीय मशीनरी अथवा कार्मिकों का प्रयोग नहीं करना चाहिये।

(ख) सरकारी विमानों, गाड़ियों सहित सरकारी वाहनों, मशीनरी और कार्मिकों का सत्ताधारी दल के हित को बढ़ावा देने के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा।

(2) सत्ताधारी दल को चाहिये कि यह सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान इत्यादि पर निर्वाचन सभाएं आयोजित करने और निर्वाचन के संबंध में हवाई उड़ानों के लिये हैलीपेडों का इस्तेमाल करने के लिये अपना एकाधिकार न जमाएं। ऐसे स्थानों का प्रयोग दूसरे दलों और प्रत्याशियों को भी उन्हीं शर्तों पर करने दिया जाये, जिन शर्तों पर सत्ताधारी दल उनका प्रयोग करता है।

(3) सत्ताधारी दल या उसके प्रत्याशियों का विश्रामगृहों, डाक बगलों या अन्य सरकारी आवासों पर एकाधिकार नहीं होगा और ऐसे आवासों का प्रयोग निष्पक्ष तरीके से करने के लिये अन्य दलों और प्रत्याशियों को भी अनुमति होगी लेकिन दल या प्रत्याशी ऐसे आवासों का (इनके साथ संलग्न परिसरों सहित) प्रचार कार्यालय के रूप में या निर्वाचन प्रचार के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने की दृष्टि से प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

(4) निर्वाचन अवधि के दौरान सत्ताधारी दल के हितों को अग्रसर करने की दृष्टि से उनकी उपलब्धियाँ दिखाने के उद्देश्य से राजनैतिक समाचारों तथा प्रचार की पक्षपातपूर्ण ख्याति के लिये सरकारी खर्चे से समाचार पत्रों में या अन्य माध्यमों से ऐसे विज्ञापनों का जारी किया जाना, सरकारी जन माध्यमों का दुरुपयोग ईमानदारी से बिल्कुल बन्द होना चाहिये।

(5) (क) मंत्रियों और अन्य प्राधिकारियों को उस समय जब से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन घोषित किये जाते हैं, विवेकाधीन निधि में से अनुदानों/अदायगियों की स्वीकृति नहीं देनी चाहिये।

(ख) संविधान में अधिष्ठापित राज्य के नीति–निर्देशक तत्व, राज्य को यह आदेश देते है कि राज्य नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याण संबंधी उपायों के वायदों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तथापि, राजनैतिक दलों को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दुषित करें या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डालें।

(ग) पारदर्शिता एक समान अवसर प्रदान करने तथा वायदों की विश्वसनीयता हेतु यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणाओं में वायदों के मूलाधार पर भी विचार किये जाने चाहिये और इस प्रयोजनार्थ वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के साधनों का व्यापक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो सकें।

(6) मंत्री और अन्य प्राधिकारी, उस समय से जब से निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव घोषित किये जाते हैं:–

(क) किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे अथवा

(ख) (लोक सेवा को छोड़कर) किसी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिये आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे या

(ग) सड़कों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं देंगे आदि या

(घ) शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में ऐसी कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाये जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हों।

टिप्पणीः— आयोग किसी भी निर्वाचन की तारीख की घोषणा इस प्रकार करेगा, जो ऐसे निर्वाचनों के बारे में जारी होने वाली अधिसूचना की तारीख से सामान्यतः 'तीन सप्ताह' से अधिक नहीं होगी।

(7) केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री तथा किसी नगर निगम महापौर अथवा पार्षद, प्रत्याशी या मतदाता अथवा प्राधिकृत अभिकर्त्ता की अपनी हैसियम को छोड़कर किसी भी मतदान केन्द्र या गणना स्थल में प्रवेश नहीं करेंगे।

VIII. निर्वाचन घोषणापत्रों पर दिशा–निर्देशः–

(क) निर्वाचन घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं होगी जो संविधान में दिए गए सिद्धांतों और आदर्शों के प्रतिकूल हो और इसके अलावा यह आदर्श आचार संहिता के अन्य प्रावधानों में निहित भावना के अनुरूप होगी।

(ख) संविधान में अधिष्ठापित राज्य के नीति–निर्देशक तत्व, राज्य को यह आदेश देते है कि राज्य नागरिकों के लिए विभिन्न कल्याण संबंधी उपायों की रचना करे तथा इसलिए निर्वाचन घोषणापत्रों में ऐसे कल्याण संबंधी उपायों के वायदों पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तथापि, राजनैतिक दलों को ऐसे वायदे करने से बचना चाहिए जो निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता को दूषित करें या मतदाताओं पर उनके मताधिकार के प्रयोग में कोई अनुचित प्रभाव डालें।

(ग) पारदर्शिता, एक समान अवसर प्रदान करने तथा वायदों की विश्वसनीयता हेतु यह अपेक्षा की जाती है कि घोषणापत्रों में वायदों के मूलाधार पर भी विचार किया जाना चाहिए और इस प्रयोजनार्थ वित्तीय अपेक्षाओं को पूरा करने के साधनों का व्यापक रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। मतदाताओं का विश्वास ऐसे वायदों पर मांगा जाना चाहिए जिन्हें पूरा करना संभव हो सके।

IX. टी0वी0 चैनल/केबल ऑपरेटरों द्वारा, रेडियो स्टेशनों आदि पर चुनावी विज्ञापन का विनियमन–

(1) किसी भी ऐसे विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका संपूर्ण उद्देश्य या मुख्यतः धार्मिक या राजनीतिक स्वरूप का हो, विज्ञापन किसी धार्मिक या राजनीतिक उद्देश्य के लिए हो।

(2) कोई भी केबल ऑपरेटर या टी0वी0 चैनल किसी ऐसे विज्ञापन का प्रसारण नहीं करेगा जो देश के कानून के विविसम्मत न हो और जो किसी विचार की नैतिकता, शालीनता तथा संवेदनशीलता को आहत करता हो या जो ठेस पहुंचाने वाला, घृणास्पद और विद्रोहपरक हो।

(3) प्रत्येक राजनीतिक दल चुनावी प्रत्याशी या कोई अन्य व्यक्ति किसी टी0वी0 चैनल या केबल नेटवर्क या किसी रेडियों स्टेशन पर प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए संबंधित क्षेत्र के उपमंडलीय मजिस्ट्रेट/सहायक पुलिस आयुक्त से आवेदन करके तथा विधिवत रूप से प्रदर्शन से कम–से–कम तीन दिन पहले प्रमाण–पत्र प्राप्त करेगा। ऐसे किसी भी विज्ञापन/प्रचार का किसी रेडियो स्टेशन पर प्रसारण अथवा दूरदर्शन पर प्रदर्शन अथवा किसी समाचार पत्र में प्रकाशन मतदान की समाप्ति के समय से 48 घण्टे पूर्व तक हो सकेगा।

X. चुनाव अभियान की अवधि

(1) किसी मतदान केन्द्र के अन्दर या नजदीक चुनाव प्रचार करना या वार्ड में जनसभा करना नगर निगम के वार्डों के चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के समय से 48 घण्टे पहले बन्द हो जाएगा। सभी पार्टियों और प्रत्याशियों से निवेदन किया जाता है कि अभियान और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें।

(डॉ. विजय देव)
राज्य चुनाव आयुक्त